

कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल नैनीताल।

पत्रांक 527 यु0क0/मा0मु0घो0/बिन्दुखत्ता मि0स्टे0/2020-21

दिनांक -11-11-2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।

विषय:-

युवा कल्याण विभाग जनपद नैनीताल के अर्न्तगत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा संख्या-257/2018 "बिन्दुखत्ता में शहीद मोहननाथ गोस्वामी के नाम पर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा के निर्माण हेतु 4.9962 वन भूमि का युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0 FP/UK/Others/21599/2016)

सन्दर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक FP/UK/OTHERS/21599/2016 दिनांक 02.03.2020.

महोदय,

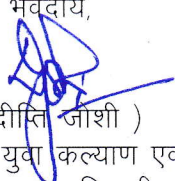
उपरोक्त सन्दर्भित जो इस कार्यालय के साथ आपको भी सम्बोधित है के द्वारा विषयगत प्रकरण में लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण / आख्या निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र.सं.	EDS	आपत्ति का निराकरण / आख्या
1	वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित संलग्न प्रमाण पत्रों में जिला स्तरीय समिति के दो प्रमाण पत्र विभिन्न तिथियों के संलग्न किये गये हैं, स्थिति स्पष्ट करें।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्रस्ताव को वर्ष 2016 में तैयार कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ ऑनलाईन अपलोड किया गया था, जिसमें जिला स्तरीय समिति का प्रपत्र (पृष्ठ सं0 44) संलग्न नहीं किया गया था। आपकी EDS dated 14.10.2016 के बिन्दु सं0 7 में वनाधिकार अधिनियम 2006 को पूर्ण किये जाने हेतु लिखा गया। तदोपरान्त तत्कालीन जिला अधिकारी श्री विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.6.2019 को होने के पश्चात उक्त प्रपत्र (पृष्ठ सं0 44) को तैयार कर ऑनलाईन अपलोड किया गया। अतः उपरोक्त कारण से उक्त दोनो प्रमाण पत्रों की तिथियों में विभिन्नता है।
2	लाभान्वित होने वाले ग्रामों का उल्लेख वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों में नहीं किया गया है, व न ही वनाधिकारी अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों में उल्लेखित ग्राम पंचायत का नाम लाभान्वित होने वाले ग्रामों में सम्मिलित किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।	लाभान्वित होने वाले ग्रामों का उल्लेख प्रस्ताव के प्रपत्रों में भूलवश नहीं किया गया था। जिसे अब प्रस्ताव के वांछित प्रपत्रों में दर्शाते हुये पुनः ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दस वर्षीय योजना वर्तमान दरों के अनुसार संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दस वर्षीय योजना वर्तमान दरों के अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
4	प्रस्तावित क्षेत्र शिवालिक एलिफैन्ट रिजर्व के अर्न्तगत प्रस्तावित है, इस सम्बन्ध में मुख्य वन जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में मुख्य वन जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड किया गया है।
5	प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान / मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव का ले-आउट प्लान / मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

6	परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अत्यधिक है, इसे न्यूनतम सीमित करें।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के कुल 454 वृक्ष उपस्थित हैं जिनमें से 98 वृक्षों को छोड़ते हुए कुल 356 वृक्षों के पातन की आवश्यकता होगी। परन्तु परियोजना निर्माण के समय प्रस्तावित स्थल में न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रयास किया जायेगा। न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।
7	प्रस्ताव दो प्रतियों में प्रेषित किया गया है, प्रस्ताव की एक अतिरिक्त प्रति उपलब्ध करायी जानी है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव तीन प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रकरण में आपत्तियों का निराकरण करते हुये प्रस्ताव पुनः ऑनलाईन प्रेषित किया जा रहा है। साथ ही पत्र के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मूल रूप में कुल 05 प्रतियां आपके कार्यालय हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। कृपया अपने स्तर से प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न- उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 05 प्रतियों में।

भवदीय,

 (दीप्ति जोशी)
 जिला युवा कल्याण एवं
 प्रा0र0द0 अधिकारी,
 नैनीताल।

प्रतिलिपि- श्री राजदीप पंत, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अधिकारी हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र तथा संलग्न प्रस्ताव की प्रतियां सम्बन्धित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करवाते हुये अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


 जिला युवा कल्याण एवं
 प्रा0र0द0 अधिकारी,
 नैनीताल।